

वसं संज्ञा 18

6/5/26

पत्राण पेश हुन ककुठ उपर। मूल वाद-पत्र  
अदम पैरवी मे 0 9 18 के तहत खारिज  
विषा जा चुका है। पत्र 212 पानी में  
आने चलाने का कोई औचित्य नहीं है।  
अतः पत्राण इसी मर वा खारिज की  
जाती है। पत्राण जेसल कुमार दोष  
कारिजल दफ्तर हो।

*[Handwritten signature]*

*[Faint handwritten text at the bottom of the page]*